प्रति

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं०–1/प्री–मैट्रिक के0प्रा0यो0–07/2010–77,

सेवा में,

महालेखाकार,

वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक– 18/12/18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत राज्यांश में रू0 1250.00 लाख (रू0 बारह करोड. पचास लाख) मात्र तथा केन्द्रांश में रू0 1250.00 लाख (रू0 बारह करोड. पचास लाख) मात्र अर्थात् कुल रू0 2500.00 लाख (रू0 पचीस करोड़) मात्र का स्वीकृति।**

आदेश– **स्वीकृत।**

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत राज्यांश में रू0 1250.00 लाख (रू0 बारह करोड. पचास लाख) मात्र तथा केन्द्रांश में रू0 1250.00 लाख (रू0 बारह करोड. पचास लाख) मात्र अर्थात् कुल रू0 2500.00 लाख (रू0 पचीस करोड़) मात्र प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु राशि की व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2–कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 के राज्य योजना माँग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्यय शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष–277– शिक्षा, उप शीर्ष–0214 प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति विपत्र कोड–11–2225032770214, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9493 एवं केन्दांश माँग संख्या–11, मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, अन्य् पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष–277–शिक्षा, उप शीर्ष–0314–प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति विपत्र कोड–11–2225032770314, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9493 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3–इस स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। संकल्प सख्यां–2565 दिनांक–21.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

4–जिला पदाधिकारी छात्रवृत्ति वितरण का अनुश्रवण करेंगे की लाभांवित होने वाले छात्र/छात्राओं को बैंक खाता के माध्यम से राशि का आंतरण किया जा रहा है।

5–शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी छात्रवृति की राशि निकासी कर DBT के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में राशि का अन्तरण करेंगे। छात्रवृति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित समय–सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेंगे।

6–संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561, दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। किसी जिले में उक्त स्वीकृत राशि के व्यय होने की संभावना नहीं होने पर फरवरी 2019 में अवशेष राशि विभाग को निश्चित रूप से प्रत्यर्पित कर दी जाय। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी ही की जाय, जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक–31.03.2019 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नकद के रूप में नहीं रखा जाय।

8–विद्यालय छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण विभागीय संकल्प संख्या–53 दिनांक–12.11.2012 एवं पत्रांक–58 दिनांक–12.01.2013 के आलोक में किया जायेगा।

9– उक्त स्वीकृत राशि की निकासी **BTC Form-43** से संबंधित विपत्र पर की जायेगी।

10–स्वीकृत की जा रही राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजट के अन्तर्गत है।

11–प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12–प्रस्ताव में माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण का अनुमोदन प्राप्त है।

D:\Prem\Rajnish Sir/Pre-Matric Sanction